खाकी खोरी विस्थापन यानी देश 'सामान्य' हो चला

विकास नारायण राय

15 जुलाई की प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी की अपने निर्वाचन क्षेत्र बनारस की भव्य यात्रा में शहर के लिए 1500 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात शामिल थी। देश के एलीट और सुविधाप्राप्त वर्गों के लिए इससे अधिक आश्वस्त करने वाला सन्देश और क्या होगा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद सामान्य जीवन लौट रहा है। बेशक मोदी ने अब बनारस को क्योटो बनाने का जिक्र न किया हो पर वे बुलेट ट्रेन की याद दिलाना नहीं भूले। तीसरी लहर जब आएगी तब देखी जाएगी!

यही नहीं कि पंचतारा मॉल फिर गुलजार होने लगे हैं और पहाड़ों पर सैलानी उमड़ने लगे हैं। इतना ही नहीं कि धार्मिक यात्रा और सांप्रदायिक राजनीति एक बार फिर मीडिया की सुर्खियाँ बटोरने लगे हैं। दरअसल, देश की शासन व्यवस्था के सामान्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण खोरी विस्थापन के रूप में सामने आया है। हरियाणा सरकार के फरीदाबाद नगर निगम की गुहार पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जून में दिल्ली से लगे अरावली वन क्षेत्र के दस हजार घरों पर बुलडोजर फेरने का हुक्म दे डाला। लिहाजा श्रमिक वर्ग के 50 हजार स्त्री, पुरुष, बच्चे 19 जुलाई तक डंडे के जोर पर विस्थापित कर दिए जायेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इसी अरावली वन क्षेत्र के अतिक्रमणकारी सैकड़ों फार्म हाउसों, धार्मिक केन्द्रों और सितारा होटलों इत्यादि को शामिल करना जरूरी नहीं समझा। मुंह दिखाने के लिए राज्य सरकार ने खोरी के विस्थापितों के लिए एक पुनर्वास नीति की घोषणा की है, लेकिन इसके कार्यान्वयन की न कोई समय सीमा है और न इसके समन्वयन के लिए कोई विशेष कार्यालय। यानी उजड़े विस्थापितों को उसी लालफीताशाही प्रशासन

और भूमाफिया दलालों के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है जिसने उन्हें आर्थिक रूप से निचोड़-निचोड़कर गत 30 वर्षों से खोरी में बसा रखा था।

खालिस, कानून व्यवस्था के लिहाज से समाज पर किसका बोझ भारी पड़ेगा- प्रधानमन्त्री की बनारस जैसी यात्रा का या खोरी जैसे विस्थापन का? बनारस में बंदोबस्त के नाम पर हजारों पुलिसवाले कई दिनों से जुटे रहे होंगे और करोड़ों रुपये खर्च हुए होंगे। खोरी में कई हफ्तों से सैकड़ों पुलिसवाले लगे हैं और उन पर लाखों खर्च हो जायेंगे। यानी इस लिहाज से खोरी ऑपरेशन सस्ता पड़ा। लेकिन, क्या यह तुलना इतनी भर ही है? बनारस में किया गया निवेश कुछ न कुछ रोजगार भी पैदा करेगा। जबकि खोरी विस्थापन की कवायद से हताश बेरोजगारों का ऐसा दिशाहीन व्यापक जत्था जरूर निकलेगा जो अपराध की दुनिया में किस्मत आजमाएगा और वर्षों कानून व्यवस्था को छकाता रहेगा।

कानून पर अंग्रेजी में एक कहावत है, 'Law is an ass' यानी कानून गधा होता है। मतलब, कानून को चलाने वाला उसे जैसे चाहे हांकता रहता है। खोरी में ठीक यही हो रहा है। पुलिस ने अवैध रूप से वहां प्लाट बेचने वाले दलालों और उन्हें संरक्षण देने वाले भू माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज किये हैं। वह भी शायद दिखावे के लिए ही क्योंकि आगे इनमें भी कुछ नहीं किया गया है। लेकिन, दशकों से यह सारा फर्जीवाड़ा तरह-तरह के प्रशासनिक और राजनीतिक माफिया संरक्षण में चल रहा था, उस पक्ष को जरूर पूरी तरह से अछूता छोड़ दिया गया है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पीवी रमना ने पिछले दिनों एक स्मृति व्याख्यान में 'कानून का शासन' और 'कानून द्वारा शासन' में अंतर की विद्वतापूर्ण व्याख्या की थी। 'कानून का शासन' एक लोकतान्त्रिक अवधारणा है और 'कानून द्वारा शासन' औपनिवेशिक। पहले में कानून भेदभाव नहीं करता जबकि दूसरे में कानून का इस्तेमाल भेदभाव बनाये रखने में होता है। सर्वोच्च न्यायालय को कई मुख्य न्यायाधीशों के बाद रमना के रूप में एक साहसी और स्वतंत्र नेतृत्व मिला है। वे आसानी से देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से महज 25-30 किलोमीटर दूर खोरी में भेदभाव का कैसा नंगा नाच हो रहा है, जहाँ केवल गरीब खोरी निवासियों को उजाड़ा गया जबकि पड़ोस के तमाम अमीर अतिक्रमण कारियों को स्पर्श भी नहीं किया गया।

उपरोक्त वक्तव्य में मुख्य न्यायाधीश रमना ने सभी को यह भी याद दिलाया था कि लोकतंत्र में कानून सार्वभौम राज्य के समर्थन से केवल सामाजिक नियंत्रण का काम करने के लिए ही नहीं हो सकता। उसमें न्याय (justice) और साम्य (equity) के तत्वों का समावेश होना भी अनिवार्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से खोरी निवासियों के कोरोना आपदा के बीच बिना पुनर्वास के विस्थापन को क्या कहा जाएगा? शायद यही कि देश 'सामान्य' हो चला है?

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

कांवड़ यात्रा पर योगी अड़े, सुप्रीम कोर्ट ने फिर समझाया

जेपी सिंह

कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का फैसला रद्द होना तय माना जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य को यात्रा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग जगहों पर टैंकरों के जरिए 'गंगा जल' उपलब्ध कराया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मोहलत यूपी सरकार को दी है और मामले की सुनवाई सोमवार को करने के लिए कहा है।

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर आगे नहीं बढ़ सकता है। पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य से कहा कि, "वह कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और सोमवार को अदालत में तत्सम्बंधी नया हलफनामा दाखिल करे"।

जस्टिस नरीमन ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन से मौखिक रूप से कहा कि या तो हम सीधे आदेश पारित करेंगे या आपको अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का एक और मौका देंगे। यह महामारी हम सभी को प्रभावित करती है। यह स्वत: संज्ञान लिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 21 हम सभी पर लागू होता है। आप अधिकारियों को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अब इस मामले पर सुनवाई सोमवार को होगी। पीठ कोविड-19 महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर लिए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि भारत सरकार का स्टैंड है कि यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एसजी ने केंद्र सरकार के रुख के बारे में पीठ को सूचित करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को स्थानीय शिव मंदिरों में पूजा करने के लिए हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जस्टिस नरीमन ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यूपी राज्य केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ नहीं जा सकता है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि यूपी राज्य इस पर आगे नहीं बढ़ सकता।

हालांकि पीठ ने आज कोई आदेश पारित नहीं किया और यूपी सरकार को ही अपने फैसले पर विचार के लिए रविवार तक का समय दिया है। यूपी सरकार को कोर्ट को बताना होगा कि उसने कांवड़ यात्रा पर पुनर्विचार के बाद क्या फैसला किया है। यूपी सरकार ने 25 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक कांवड़ यात्रा की अनुमति दी है।

जनसंख्या कानून और मुसलमान : एक पड़ताल

मोहम्मद ज़ाहिद

योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं तो इससे 100 प्रतिशत सहमत हूँ।

योगी सरकार ने 19 जुलाई तक लोगों से राज्य विधि आयोग द्वारा बनाए "जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट" के लिए सुझाव या आपत्तियाँ माँगी है पर इसे कोई भी दर्ज करा सकता है।

इस प्रस्ताव के प्रमुख बिन्दुओं को पहले समझ लीजिए

1- वन चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले BPL श्रेणी के माता पिता को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। जिसके तहत माता पिता यदि पहला बच्चा पैदा होने के बाद नसबंदी करा लें तो वह बच्चा बालिग होने पर 77 हज़ार और लड़की हुई तो 1 लाख सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे माता पिता की पुत्री को उच्च शिक्षा तक पढ़ाई मुफ्त दी जाएगी जबकि पुत्र हुआ तो 20 वर्ष तक नि:शुल्क शिक्षा मिलेगी।

2- ऐसे माता पिता जिनके दो बच्चे हैं और वह सरकारी नौकरी में हैं, यदि वह अपनी स्वेच्छा से नसबंदी करा लेते हैं तो उनको दो अतिरिक्त इन्क्रीमेन्ट, प्रमोशन , सरकारी आवासीय योजना में छूट, PF में एंप्लायर कांट्रीब्यूशन जैसी सुविधा मिलेगी। पानी , बिजली और हाउसटैक्स में भी छूट मिलेगी।

3- ड्राफ्ट के अनुसार कानून लागू होने के बाद जो कोई भी दो बच्चे के मापदंड का उल्लंघन कर दो से अधिक बच्चे पैदा करता है तो सरकारी नौकरी में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा।

4- ड्राफ्ट के अनुसार एक साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों , कर्मचारियों , स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे।

5- कानून लागू होते समय यदि उपरोक्त सभी के यदि दो बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद तीसरी संतान पैदा होती है तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने और आगे चुनाव ना लड़ने देने का प्रावधान है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने का प्रावधान है। यद्धपि कोई तीसरा बच्चा गोद ज़रूर ले सकता है।

6- राशन कार्ड में अब 4 से अधिक लोगों के नाम दर्ज नहीं होंगे और कानून के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक यह विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक साल बाद लागू होगा।

यह तो रहा कानून, अब आईए देखते हैं कि इसके राजनैतिक नीहितार्थ क्या हैं और सच क्या हैं।

मोटा माटी भगवा संगठनों के आक्रमण पर मुसलमान अधिक जनसंख्या के लिए जम्मिदार ठहराए जाते हैं और अपने कोर वोटर्स के दिमाग में संघ ने लगभग यह परसेप्शप सेट कर दिया है।

योगी सरकार का यह फैसला भी उन कोर वोटर्स की नजर में मुसलमानों की जनसंख्या नियंत्रण की कयावद मात्र है। क्युँकि उनके अंदर यह डर बिठा दिया गया है कि देश में मुसलमानों की आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो देश में मुसलमान बहुसंख्यक होकर सत्ता पर कब्ज़ा कर लेगा और पुन: मुगलिया हुकूमत आ जाएगी। जबकि तमाम आँकड़ों के अनुसार अधिक बच्चे पैदा होने का संबन्ध धर्म नहीं बल्कि शिक्षा और आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है। और इसका प्रभाव सभी धर्मों के लोगों पर पड़ता है।

सबसे आदर्श प्रजनन दर 2.1% को माना जाता है, अर्थात किसी देश की प्रजनन दर यदि 2.1 प्रतिशत हुई तो इसका अर्थ हुआ कि किसी देश में एक महिला दो बच्चों को ही जन्म दे रही है ज़ाब्र अधिक जन्म के बाद बच्चों की मृत्यु के लिए रखा गया है।

अर्थात यदि किसी देश की प्रजनन दर 2.1 प्रतिशत है तो उसकी जनसंख्या भविष्य में स्थिर मानी जाती है। और फिलहाल भारत का प्रजनन दर 2011-15 में 2.37 थी और वर्तमान में यह 2.3 प्रतिशत है।

परन्तु जिस तरह से लोगों में जागरुकता आ रही है उसी को देखा जाए तो भारत के स्वास्थ मंत्रालय के जारी आँकड़े के अनुसार जनसंख्या अनुमान से संकेत मिलता है कि कुल प्रजनन दर घटकर 2031-35 में 1.73 होने का अनुमान है।

भारत की जनसंख्या फिलहाल जो है उसमें 2031-35 तक भारी कमी आने वाली है। और यह सब केवल शिक्षा जागरुकता और विकास के कारण है ना कि किसी कानून के कारण।

और यह आप "नीति आयोग" की वेबसाइट पर जाकर भारत के प्रत्येक प्रदेश

की प्रजनन दर देख सकते हैं। लक्षद्वीप की भी जहाँ मुसलमानों की आबादी 97 प्रतिशत है। नीति आयोग के अनुसार गोबरपट्टी प्रदेशों में प्रजनन दर सबसे अधिक है वहीं दक्षिण के राज्यों में सबसे कम। उत्तर प्रदेश में यह दर 3.1 प्रतिशत है वहीं बिहार में सबसे अधिक 3.3 प्रतिशत।

अर्थात बिहार बच्चा पैदा करने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है तो इसका कारण यही है कि बिहार सबसे पिछड़ा और अशिक्षित राज्य है। वहीं देश के सबसे साक्षर राज्य केरल में प्रजनन दर 1.8 प्रतिशत है।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन मुसलमानों पर जनसंख्या बढ़ाने का आरोप लगता है उन मुसलमानों के 97 प्रतिशत आबादी वाले राज्य लक्षद्वीप में प्रजनन दर मात्र 1.6 प्रतिशत है अर्थात केरल से भी कम। मुस्लिम बहुल वाले एक और राज्य जम्मू काश्मीर में प्रजनन दर 1.7 है यहाँ तक कि आसाम जैसे राज्य में भी जहाँ के मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर सबसे अधिक आक्रमण होता है वहाँ भी प्रजनन दर 2.3 प्रतिशत मात्र है।

ध्यान दीजिए कि "जनसंख्या नियंत्रण" का नया शगूफा आसाम से ही निकल कर उत्तर प्रदेश तक पहुँचा है।

देश के सबसे अधिक प्रजनन दर वाले राज्यों में बिहार 3.3 प्रतिशत , झारखंड 2.6 प्रतिशत छत्तीसगढ़ 2.5 प्रतिशत , मध्यप्रदेश 2.8 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश 3.1 प्रतिशत आते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि यही क्षेत्र गोबरपट्टी कहे जाते हैं जहाँ का शैक्षणिक और आर्थिक स्तर सबसे अधिक दयनीय स्थीति में है।

दक्षिण के राज्य अधिक शिक्षित और विकसित हैं इसलिए वहाँ की प्रजनन दर देश में सबसे कम हैं। जैसे आंध्रा प्रदेश 1.7 प्रतिशत, कर्नाटक 1.8 प्रतिशत , केरल 1.8 प्रतिशत, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र 1.8 प्रतिशत और देश की राजधानी दिल्ली 1.6 प्रतिशत है।

उपरोक्त राज्यों के प्रजनन दर और शैक्षणिक तथा आर्थिक ढाँचों की तुलना कर लीजिए अधिक जनसंख्या की हकीकत आपको पता चल जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि प्रजनन पर रोक लगाने से अधिक बेहतर विकल्प लोगों को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना है पर यह सरकार के बस के बाहर की बात है इसलिए वह ऐसा कानून ला रही है।

धार्मिक आधार तो केवल देश के बहुसंख्यकों को मुर्ख बनाने के लिए है और वह पिछले 70 सालों से मुर्ख बन भी रहे हैं।

आँकड़ों के अनुसार मुसलमानों में जिस तेजी से शिक्षा का प्रसार हो रहा है और आर्थिक स्थीति मज़बूत हो रही है उसी का परिणाम है कि उनकी प्रजनन दर बहुसंख्यकों के मुकाबले तेजी से घट रही है। यह गिरावट जहाँ हिन्दुओं में 3.16 प्रतिशत थी वहीं मुसलमानों में जनसंख्या वृद्धि की यह गिरावट कहीं अधिक अर्थात 4.9 प्रतिशत रही है।

यद्धपि अभी भी मुसलमानों में हिन्दुओं के मुकाबले जनसंख्या दर 19.92 प्रतिशत के मुकाबले 24.6 प्रतिशत है और इसी का डर दिखाकर भगवा गिरोह हिन्दुओं को अल्पसंख्य बन जाने का डर दिखाता है।

हकीकत यह है कि यदि यही दर बरकरार रही तो गणित के अनुसार इस देश की कुल आबादी का 51 प्रतिशत मुसलमान 600 साल बाद होंगे।

हालाँकि शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि से यह आँकड़े परिवर्तित हो रहे हैं , इसे आप काश्मीर और लक्ष्यद्वीप तथा केरल के आँकड़ों से देख सकते हैं।

आँकड़ो के अनुसार 1951 में इस देश में हुई पहली जनगणना में 84.1 प्रतिशत अर्थात 30.35 करोड़ हिन्दू था और मुसलमान थे 3.54 करोड़। मुसलमान 70 साल में अब 14 प्रतिशत अर्थात 18 करोड़ हुआ वहीं हिन्दू 100 करोड़। अर्थात आबादी की दर हिन्दुओं की कहीं अधिक है।

सोचिए कि 70 साल बाद यह स्थीति भी भगवा अंधों को दिखाई नहीं देती और वह झूठ तथा प्रोपगंडे में फंस कर उनकी राजनीति का शिकार हो जाते हैं।

यह तो हो गये तथ्य और राजनैतिक प्रोपगंडा। अब अंत में आते हैं योगी जी के इस "जनसंख्या नियंत्रण" कानून के नकरात्मक परिणाम और साजिश।

जैसा कि स्पष्ट है कि हिन्दुओं की ओबीसी और दलितों की जनसंख्या दर मुसलमानों की अपेक्षा बहुत अधिक है , इस देश की दो से अधिक संतान वाली माओं में 84 प्रतिशत हिन्दू हैं और इन 84 प्रतिशत में 80 प्रतिशत से अधिक दंपत्ति ओबीसी , एससी तथा एसटी हैं।

अर्थात निकट भविष्य में इस कानून की सबसे अधिक मार इन पर ही पड़ने वाली है। नौकरी से लेकर तमाम सुविधाओं से यही वंचित होने वाले हैं। और यही सबसे अधिक नौकरी भी पाते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेते हैं। यही संघी सरकार की इस कानून के ज़रिए की गयी मुख्य साजिश है।

इस कानून का दुष्परिणाम क्या होगा?

1. गर्भ परीक्षण बढ़ेगा , लोग बच्चा पैदा होने के पहले गर्भ में लिंग का परिक्षण कराएँगे , क्युँकि अब उनके पास 2 ही आप्शन है तो वह अपने पसंद की संतान चाहेंगे।

2. लड़की हुई तो गर्भ में उसकी हत्या करा देंगे, अर्थात बेटियाँ गर्भ में मार दी जाएँगी, बेटों की संख्या ना भर पाएँ इसलिए उनकी बलि दी जाएगी।

3. यदि इस सबके बावजूद तीसरी संतान हो गयी तो पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देंगे , जिससे अधिक बच्चे का उनका कोटा खाली ही रहे।

4- खुद का तीसरा बच्चा चोरी छुपे पैदा करके उनको लावारिस बताकर अनाथालय से गोद लेने की घटनाएँ बढ़ेंगी।

मुल्लों से इसीलिए निवेदन है कि यदि वह अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो आईसोलेट होकर टाइट रहें, वह जितना खामोश रहेंगे उतना ही आपके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। अधिक चिल्ल पों से ऐसे कानून से उनके कोर वोटर में उपजी नाराजगी दूर हो जाएगी। रहा अपुन की बात, तो हम तो स्वेच्छा से 1 नेशन 1 संतान वाले जाने कब से हैं।